न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या 10,
जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमूं

पीठासीन अधिकारी : **सत्येन्द्र सिंह चौहान, आर.जे.एस**
प्रकरण संख्या : **1176/2013 रै.फौ.**
सी.आई.एस. नं. : **1398/2019**
निर्णय दिनांक : **30.06.2026**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**155/2013**, **पीएस हरमाड़ा**, जिला जयपुर, राज.
अपराध अन्तर्गत धारा **279, 304ए भा.दं.सं.**

PART-I

(A)

अभियोगी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री कमलेश शर्मा, अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	**गोपाल सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह, उम्र 45 वर्ष, निवासी वैष्णव कॉलोनी, थाना सदर, जिला सीकर।**
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री **चिराग जैन**

B

अपराध की दिनांक		**05/04/13**
एफ.आई.आर. की दिनांक		**05/04/13**
आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक		**01/05/13**
आरोप सुनाए जाने की दिनांक		**01/05/13**
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		**30/06/26**
निर्णय सुनाने की दिनांक		**30/06/26**
दण्डादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	----------------------

C

अभियुक्त/अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परीविक्षा आदेश का विवरण	अभिरक्षा में बिताई अवधि
01	गोपाल	...	.....	279, 304ए भारतीय दंड संहिता	दोषमुक्त	संदेह का लाभ	....

PART-II

साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) **अभियोजन साक्षी**

श्रेणी	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
PW-1	सोहन सिंह	स्वतंत्र गवाह
PW-2	हवा सिंह	फर्द जब्ती का गवाह
PW-3	विजयराम चंदानी	घटना की ताईद
PW-4	गुलशन सैनी	रिपोर्टकर्ता
PW-5	ईश्वरचंद	पुलिस गवाह
PW-5	बाबूलाल सैनी	स्वतंत्र गवाह
PW-6	डॉ. आरसी गुप्ता	चिकित्सीय साक्षी
PW-7	इस्माइल खान	पुलिस गवाह

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) **अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श**

क.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	प्र.पी. 1	फर्द निरीक्षण एवं जब्ती वाहन टेंकर
2	प्र.पी. 2	फर्द निरीक्षण एवं जब्ती असल कागजात
3	प्र.पी. 3	नक्शा मौका
4	प्र.पी. 4	लिखित रिपोर्ट
5	प्र.पी. 5	चाक एफआईआर
7	प्र.पी. 6	फर्द निरीक्षण सूरतेहाल वाहन स्कूटी
9	प्र.पी. 7	फर्द पंचायतनामा मोनिका
10	प्र.पी. 8	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
11	प्र.पी. 9	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट
12	प्र.पी. 10	नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट
13	प्र.पी. 11	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट

14	प्र.डी. 1	पुलिस बयान विजयराम चंदानी
15	प्र.डी. 2	पुलिस बयान गुलशन सैनी

–::निर्णय::– **दिनांक 30.06.2026**

01. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यानुसार परिवादी गुलशन सैनी द्वारा पुलिस थाना हरमाड़ा में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि समय 1.30 पीएम पर मेहता सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल से कक्षा 11 की परीक्षा दिलवाकर घर लौट रहा था कि एक टेंकर आरजे 23 जीए 2377 टोड़ी चौराहे पर तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आकर उसकी स्कूटी नंबर आरजे 14 बीयू 5815 के टक्कर मार दी जिससे उसकी बहन मोनिका सैनी उछलकर टेंकर के टायर के नीचे आ गई जिसे काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया जिस कारण उसकी बहन की मृत्यु हो गई...........इत्यादि।

02 उक्त रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर संख्या 155/2013 अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता में दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान आरोप पत्र अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता में न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 304ए भा.द.स. में प्रसंज्ञान लिया गया।

03 अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता में आरोप प्रथम दृष्ट्या अपराध बनना पाये जाने पर उक्त अपराध में अभियुक्त को आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने पर अंतर्गत धारा 313 दण्ड संहिता 1973 के तहत अभियुक्त के बयान मुलजिम लेखबद्ध किये गये, अभियुक्त अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की साक्ष्य से इनकार कर, साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करने से इनकार किया।

05. बहस अंतिम सुनी गई।

06. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता 1860 संदेह से परे प्रमाणित होने का कथन करते हुए अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाकर विधिनुसार दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

07. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्कों का विरोध कर कथन किया कि रिपोर्ट पी.डब्ल्यू 4 गुलशन सैनी के द्वारा दर्ज करवाई गई। रिपोर्टकर्ता पी.डब्ल्यू 4 ने जिरह में कथन किया कि वह अभियुक्त को नहीं जानता तथा प्रदर्श पी4 पर थाने में ही हस्ताक्षर किये हैं जबकि यह रिपोर्ट हॉस्पिटल में दी गई है। इससे गवाह के बयान विश्वसनीय भी नहीं है। पी.डब्ल्यू 1 सोहन सिंह पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा पी.डब्ल्यू 3 विजयराम चंदानी भी जिरह में कथन करता है कि वह अभियुक्त को ना तो जानता है, ना पहचानता है तथा इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी को भी परीक्षित नहीं करवाया गया। किसी भी गवाह की साक्ष्य से यह प्रकरण साबित नहीं है। अतः प्रकरण में संदेह का लाभ दिया जाकर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

08. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया, सुसंगत अभिलेख व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

09. न्यायालय के समक्ष निर्णय किये जाने योग्य विचारणीय बिन्दु निम्न हैः–

(1) क्या आरोपित अभियुक्त ने दिनांक 05.04.2013 को समय 1.30 पीएम पर टोड़ी चौराहे पर एक टेंकर नंबर आरजे 23 जीए 2377 को तेजगति व लापरवाही से चलाते हुए परिवादी व उसकी बहन मोनिका की स्कूटी नं. आरजे 14 बीयू 5815 के टक्कर मारकर उनके मानव जीवन को संकटापित किया एवं दुर्घटना के परिणामस्वरूप उसकी बहन मोनिका के आई चोटों से मृत्यु कारित हुई ?

(2) यदि हां, तो अभियुक्त को किस दण्ड से दण्डित किया जाये ?

10. दुर्घटना कारित करने वाले वाहन में न्यायालय को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **संग्रामसिंह बनाम राजस्थान राज्य** के प्रकरण

में प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में निम्न बिंदुओं पर इस प्रकरण के निस्तारण हेतु विचार करना है कि–

01. क्या दिनांक 05.04.2013 को समय 1.30 पीएम पर टोड़ी चौराहे पर एक टेंकर नंबर आरजे 23 जीए 2377 को अभियुक्त गोपाल ही चला रहा था ?

02. क्या अभियुक्त गोपाल ने दिनांक 05.04.2013 को समय 1.30 पीएम पर टोड़ी चौराहे पर एक टेंकर नंबर आरजे 23 जीए 2377 को लापरवाहीपूर्वक व उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन को संकटापित किया, जिससे परिवादी की बहन मोनिका की आपराधिक मानव वध की कोटि में न आने वाली मृत्यु कारित हुई ?

11 जहां तक पहले बिंदु का प्रश्न है कि **दिनांक 05.04.2013 को समय 1.30 पीएम पर टोड़ी चौराहे पर एक टेंकर नंबर आरजे 23 जीए 2377 को अभियुक्त गोपाल ही चला रहा था।** इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य आई है उसके संबंध में यदि हम सर्वप्रथम रिपोर्टकर्ता **पी.डब्ल्यू 4 गुलशन सैनी** की साक्ष्य का अवलोकन करे तो उसने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 05.04.2013 को लगभग डेढ पीएम की घटना है। घटना टोड़ी मोड़ की है। वह अपनी बहन मोनिका को एग्जाम दिलाकर अपनी स्कूटी नंबर आरजे 14 बीयू 5815 से घर जा रहा था। जैसे ही टोड़ी मोड़ पहुंचा, पीछे से एक टेंकर नंबर आरजे 23 जीए 2377 के चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलकार आगे चल रही उसकी स्कूटी के टक्कर मार दी। टेंकर चालक बहुत तेजगति से चला रहा था। घटनास्थल पर हाईवे से भैरू खेजड़ा की तरफ जाने वाला कट भी है। स्कूटी के टक्कर लगने से स्कूटी पर बैठी उसकी बहन टेंकर टायर के नीचे आ गई और उसको घसीटते हुए ले गया। उसने टेंकर को भी नहीं रोका और भाग गया। मौके पर ही उसकी बहन की मृत्यु हो गई थी। वह साईड में गिर गया था, जिससे उसके मामूली चोट लगी। घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी, रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–5 है। घटनास्थल का नक्शा मौका पुलिस ने उसके सामने बनाया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। दुघ ्टनाग्रस्त स्कूटी को पुलिस ने उसे सुपुर्द की थी, फर्द सुपुर्दगी स्कूटी प्रदर्श

पी–6 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह इस गवाह द्वारा कथन किया गया कि मुल्जिम को वह नहीं जानता है। गाड़ी के चैचिस नंबर व ईंजन नंबर उसे पता नहीं है। प्रदर्श डी2 पर उसके साईन क्यों नहीं है वह नहीं बता सकता। प्रदर्श पी4 उसने थाने पर ही दी थी। प्रदर्श पी5 पर उसके साईन नहीं है। अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी **पी.डब्ल्यू 3 विजयराम चंदानी** जिसने सशपथ बयानों में कथन किया कि दिनांक 05.04.2013 को दिन के करीब डेढ दो बजे की घटना है। वह अपने निजी काम से टोड़ी मोड़ बस स्टेण्ड पर आया हुआ था। उसी समय पर उसने देखा कि जयपुर की तरफ से एक ऑयल टेंकर जिसके नंबर आरजे 23 जीए 2377 थे, जिसके चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलकार पीछे से आगे चल रही स्कूटी के पीछे से टक्कर मारी, जिससे स्कूटी पर सवार एक लड़की मोनिका सैनी टेंकर के टायर के नीचे आ गई और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना टेंकर चालक की गलती से हुई थी। टेंकर चालक मौके से टेंकर छोड़कर भाग गया था। एक्सीडेंट लगभग टोड़ी मोड़ पर ही हुआ था। घटनास्थल का नक्शा मौका पुलिस ने उसके सामने बनाया था। घटनास्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह इस गवाह द्वारा कथन किया गया कि नक्शा मौका प्रदर्श पी3 थाने पर जाकर बनाया था। उस दिन के बाद उनको मौके पर नहीं बुलाया। **पी.डब्ल्यू 5 बाबूलाल सैनी** जिसने सशपथ बयानों में कथन किया कि दिनांक 05.04.2013 की घटना है। घटना के संबंध में उसे उसके भाई गुलशन ने फोन करके बताया था कि मोनिका व उसका एक्सीडेंट हो गया है। टोड़ी मोड़ पर टैंकर ने टक्कर मारी है। टैंकर के नंबर आरजे 23 जीए 2377 ने टक्कर मारी थी। गुलशन व मोनिका स्कूटी से घर जा रहे थे। दुर्घटना में गुलशन व मोनिका के चोटें आई थी, दुर्घटपा के कारण मोनिका की मृत्यु हो गई थी। वह घटनास्थल पर गया था, घटनास्थल का नक्शा मौका पुलिस ने उसके सामने बनाया था जो प्रदर्श पी–3 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। गुलशन ने उसे बताया कि वे रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी एक एक टेंकर वाला तेज गति से आया और टक्कर मार दी। दौराने जिरह इस गवाह द्वारा कथन किया गया कि जब दुर्घटना हुई तब वह मौके पर

मौजूद नहीं था। जिस दिन नक्शा मौका बनाया उस दिन घटना स्थल पर खून के निशान नहीं थे। **पी.डब्ल्यू 1 सोहन सिंह** जो पक्षद्रोही घोषित हुआ है जो कथन करता है कि उसके सामने कोई टैंकर जब्त नहीं हुआ, ना ही टैंकर के कोई कागजात जब्त हुए। **पी.डब्ल्यू 2 हवा सिंह** जिसने सशपथ बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 06.04.2013 को पीएस हरमाड़ा पर कॉनि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन उसके समक्ष सुभाषचंद ने अपनी गाड़ी नंबर आरजे 23 जीए 2377 के कागजात असल आर.सी इंश्योरेंस व गोपाल सिंह का डी.एल जरिये फर्द प्रदर्श पी–2 उसके समक्ष श्री कृष्ण जी एएसआई को पेश किए थे। दौराने जिरह इस गवाह द्वारा कथन किया गया कि इसके प्रदर्श पी2 पर हस्ताक्षर नहीं है। **पी.डब्ल्यू 6 डां. आर.सी. गुप्ता** जो चिकित्सकीय साक्षी है जिसने सशपथ बयानों में कथन किया कि दिनांक 05.04.2013 को वह मेडिकल ज्यूरिष्ठ के पद पर कावरिया राजकीय जिला चिकित्सालय में कार्यरत था। उस दिवस को पुलिस प्रतिवेदन थाना हरमाड़ा के प्रार्थना पत्र पर मृतक कुमारी मोनिका सैनी का शव परीक्षण उसके द्वारा किया गया था, जो प्रदर्श पी–8 है। **पी.डब्ल्यू 5 ईश्वरंचद** जिसने सशपथ बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 05. 04.2013 को पुलिस थाना हरमाड़ा में एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन वह थाने पर डीओ था। उस दिन गुलशन सैनी की लिखी हुई व जितेन्द्र कॉनि. के द्वारा पेश एक तहरीर रिपोर्ट उसके समक्ष पेश हुई। मजमून रिपोर्ट से धारा 279, 304ए आईपीसी में मुकदमा नंबर 156/2013 कायम की जाकर एफआईआर किशनसिंह एएसआई को सुपुर्द की गई। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 है, जिस पर ए से बी परिवादी गुलशन सैनी के हस्ताक्षर हैं, सी से डी कार्यवाही पुलिस का अंकन है, जिसके नीचे के से एल किशन सिंह के हस्ताक्षर हैं, ई से एफ कायमी मुकदमा का नोट है एवं जी से एच जितेन्द्र कॉनि. के व आई से जे उसके हस्ताक्षर हैं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–5 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी जितेन्द्र के हस्ताक्षर हैं। पीएमआर रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 है। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 है, जिस पर जी से एच किशन के हस्ताक्षर हैं और आई से जे हालात मौका अंकित है। किशन एएसआई के द्वारा गवाह विजयराम, गुलशन सैनी व बाबूलाल के बयान

लेखबद्ध किए गए, जिनके नीचे किशन के हस्ताक्षर हैं। दुर्घटना करने वाले टेंक को व उसके कागजातों को किशन एएसआई के द्वारा जरिये फर्द प्रदर्श पी–1 व पी–2 जब्त किए, जिन पर क्रमशः ई से एफ व जी से एच किशन एएसआई के हस्ताक्षर है। दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी को किशन एएसआई के द्वारा जब्त किया गया, जो प्रदर्श पी–6 है, जिस पर सी से डी किशन एएसआई के हस्ताक्षर हैं। दुर्घटना करने वाले वाहन टेंकर के आरसी ऑनर व चालक को धारा 133 व 134 एमवी एक्ट का नोटिस किशन एएसआई द्वारा दिया गया था, जो क्रमशः प्रदर्श पी–9 व पी–10 हैं, जिन पर ए से बी किशन एएसआई के हस्ताक्षर हैं। उक्त टेंकर की एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी–11 है, जिस पर ए से बी एमटीओ रामचंद्र के हस्ताक्षर हैं। आरोप पत्र पर ए से बी इस्माईल खान के हस्ताक्षर हैं। किशनसिंह एएसआई व रामचंद्र एमटीओ व इस्माईल खान थाने पर साथ कार्यरत होने के कारण उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर पहचानता है। दौराने जिरह इस गवाह द्वारा कथन किया गया कि प्रदर्श पी1, पी2, पी6 लगायत पी11 कायम करते समय वह मौके पर मौजूद नहीं था, ना ही उक्त कार्यवाही उसके सामने की गई। उक्त कार्यवाहीयों पर श्री किशनसिंह एएसआई के हस्ताक्षर उनके साथ काम करने के कारण पहचानता है, इसके अतिरिक्त इस प्रकरण की उसे कोई जानकारी नहीं है। **पी.डब्ल्यू 7 इस्माइल खान** जिसने सशपथ बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 05.04.2013 को पुलिस थाना हरमाड़ा पर थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन परिवादी कॉनि. जितेन्द्र कुमार के द्वारा एक तहरीर रिपोर्ट जो पीडित गुलशन सैनी के द्वारा दी गई थी, जिसको लाकर थाने पर पेश किया, जिस पर हॉस्पिटल में ही पूर्व से सी से डी कार्यवाही पुलिस का अंकन कर के से एल एएसआई किशन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–5 है। फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी–7 है, जिस पर ए से बी एएसआई किशन के हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 है, जिस पर जी से एच आईओ किशन के हस्ताक्षर हैं। जब्ती दुर्घटना कारित प्रदर्श पी–1 वाहन टेंकर नंबर आरजे 23 जीए 2377 है व उसके असल कागजात की जब्ती प्रदर्श पी–2 है, जिन पर क्रमशः ई से एफ व जी से एच किशन के हस्ताक्षर हैं। फर्द

निरीक्षण दुर्घटनाग्रस्त वाहन प्रदर्श पी–6 है, जिस पर सी से डी किशन के हस्ताक्षर हैं। धारा 133 व 134 का एमवी एक्ट का नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी–9 व पी–10 हैं, जिन पर ए से बी किशन के हस्ताक्षर हैं। उक्त अनुसंधान अधिकारी के द्वारा प्रकरण में गवाह विजय, गुलशन, बाबूलाल के बान धारा 161 सीआरपीसी में लेखबद्ध किए गए, जिनके नीचे किशन सिंह के हस्ताक्षर हैं। प्रकरण की पीएमआर व एमटीओ रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई थी। अनुसंधान अधिकारी किशन के द्वारा तफ्तीश पूर्ण कर आरोपी गोपाल के विरुद्ध धारा 279, 304ए में अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु उसके समक्ष पेश की गई, उसके द्वारा अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन कर उक्त आईओ के अनुसंधान की पुष्टि करते हुए प्रकरण में चालान आदेश प्राप्त कर उक्त आरोपी के विरुद्ध उक्त धारओं में न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया। चार्जशीट के प्रत्येक पेज पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। अनुसंधान अधिकारी किशन मीणा के हस्ताक्षर वो उसके अधीनस्थ काम करता था, इसलिए पहचानता है। दौराने जिरह इस गवाह द्वारा कथन किया गया कि उसके द्वारा इस प्रकरण में किसी प्रकार की कोई जांच या अनुसंधान नहीं किया गया।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से आई संपूर्ण साक्ष्य का एकसाथ विश्लेषण किया जाए तो इस प्रकरण में रिपोर्ट पी.डब्ल्यू 4 गुलशन सैनी के द्वारा दर्ज करवाई गई। गुलशन सैनी अपनी रिपोर्ट तथा सशपथ बयानों में बताता है कि दिनांक 05.04.2013 को दिन में 01.30 बजे टोड़ी मोड़ की घटना है। वह उसकी बहन मोनिका को एग्जाम दिलाकर उसकी स्कूटी नंबर आरजे 14 बीयू 5815 से घर जा रहा था। जैसे ही टोड़ी मोड़ पहुंचा तो पीछे से एक टैंकर नंबर आरजे 23 जीए 2377 के चालक ने तेजगति व लापरवाही से चलाकर उसकी स्कूटी के टक्कर मार दी। स्कूटी के टक्कर लगने से स्कूटी पर बेठी उसकी बहन टायर के नीचे आ गई तथा उसकी मृत्यु हो गई। परन्तु जिरह में यह गवाह कथन करता है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता। यहां तक कि रिपोर्ट प्रदर्श पी4 उसके द्वारा हॉस्पिटल में दी गई। परन्तु जिरह में कथन करता है कि उसने रिपोर्ट थाने पर दी थी। बयानों में यद्यपि हल्का सा

विरोधाभाष भी है, परन्तु इस गवाह की साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि बरवक्त दुर्घटना आरजे 23 जीए 2377 को अभियुक्त ही चला रहा हो। यहां तक कि इस प्रकरण में परीक्षित पी.डब्ल्यू 3 विजयराम चंदानी एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जो घटना की ताईद करता है जो यह बताता है कि दिनांक 05.04.2013 को दिन में 01.30 बजे वह निजी काम से टोड़ी मोड़ बस स्टेण्ड आया हुआ था। उस समय उसने देखा कि जयपुर की तरफ से एक ऑयल टैंकर जिसके नंबर आरजे 23 जीए 2377 तेजगति व लापरवाही से चलाकर स्कूटी के टक्कर मारी जिससे एक लड़की मोनिका सैनी टैंकर के नीचे आ गई। यह दुर्घटना टैंकर चालक की गलती से हुई। टैंकर चालक मौके से टैंकर छोड़कर भाग गया था। यद्यपि जिरह में यह गवाह कथन करता है कि वह ना तो अभियुक्त को जानता है, ना पहचानता है। बरवक्त दुर्घटना टैंकर को कौन चला रहा था उसे पता नहीं। यद्यपि इस प्रकरण में यह साबित है कि दिनांक 05.04.2013 को मोनिका सैनी की दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृत्यु हुई जिसका पोस्टमार्टम पी.डब्ल्यू 6 डां. आर.सी. गुप्ता के द्वारा किया गया जिसके संबंध में पी.डब्ल्यू 6 डां. आर. सी. गुप्ता अपनी साक्ष्य में कथन करता है। इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी किशन के फौत होने से उसे साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया गया। मात्र धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस के आधार पर इस प्रकरण में गोपाल को अभियुक्त बनाया गया, परन्तु रजिस्टर्ड ऑनर सुभाष भी परीक्षित नहीं हुआ। किसी भी गवाह की साक्ष्य से इस प्रकरण में यह साबित ही नहीं है कि **दिनांक 05.04.2013 को समय 1.30 पीएम पर टोड़ी चौराहे पर एक टेंकर नंबर आरजे 23 जीए 2377 को अभियुक्त गोपाल ही चला रहा हो।**

12. इस प्रकार इस प्रकरण में यह साबित नहीं है कि बरवक्त दुर्घटना वाहन टेंकर नंबर आरजे 23 जीए 2377 को अभियुक्त गोपाल ही चला रहा था। चूंकि इस प्रकरण में अभियुक्त की पहचान ही साबित नहीं है अर्थात् प्रथम बिन्दु को साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है, इसलिए द्वितीय बिन्दु का विवेचन किए जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। लिहाजा अभियुक्त **गोपाल** अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

13. परिणामतः अभियुक्त **गोपाल सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह, उम्र 45 वर्ष, निवासी वैष्णव कॉलोनी, थाना सदर, जिला सीकर** को धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

14. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन व कागजात यदि सुपुर्दगी पर है जो बाद गुजरने मियाद अपील सुपुर्दगार के पास रहे। जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा नियमानुसार निरस्त समझे जावे।

15. अभियुक्त द्वारा अपनी नियमित उपस्थिति बाबत पेश किये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

16. अभियुक्त को धारा 437ए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना में 6 माह की अवधि के लिए 10,000 रूपये की राशि का स्वयं का मुचलका एवं इस कदर राशि की जमानत पेश कर तस्दीक करवाने के आदेश दिये जाते हैं।

(सत्येन्द्र सिंह चौहान)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 10,
जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमूं

17. निर्णय आज दिनांक 30.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्येन्द्र सिंह चौहान)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 10,
जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमूं